राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक– प.3(1201) नविवि/3/2012 पार्ट

11 MAY 2020

जयपुर, दिनांक 11 MAY 2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक– प.3(1201) नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 09.03.2017, 20.05.2017 के बिन्दु 1 व 18.07.2019 से दिनांक 01.01.2001 एवं इससे पूर्व प्राधिकरणों व न्यासों द्वारा EWS/LIG के आवंटित आवासों की बकाया राशि दिनांक 31.12.2019 तक जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गयी।

कोविड–19 के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार आदेश दिनांक 09.03.2017, 20.05.2017 व 18.07.2019 की निरन्तरता में प्राधिकरण/न्यास द्वारा दिनांक 01.01.2001 एवं इससे पूर्व के आवंटित आवासों की बकाया राशि एवं किश्त एक मुश्त दिनांक 31.12.2020 तक जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 के अन्तर्गत शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner